दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.अ.(वाणि.बौ.सं.अनु.-व्या.चि.)29/2021

एनआईएफ प्राइवेट लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री संजीव सिंह और सुश्री अनुप्रिया आलोक, अधिवक्तागण

बनाम

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, केन्द्रीय स्थायी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे और श्री कृष्णन वी, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

05.12.2023

1. यह अपील व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार कार्यालय में वरिष्ठ परीक्षक द्वारा पारित 18 सितंबर 2018 और 8 जनवरी 2019 के आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई है। ये दोनों आदेश उस समय से संबंधित हैं जब व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को अस्वीकार करने के आदेश अतार्किक

ढंग से पारित किए जाते थे, साथ में यह भी कहा जाता था कि यदि आवेदक चाहे तो अस्वीकृति के कारणों को जानने के लिए अलग से आवेदन कर सकता है। ऐसा केवल तभी हुआ जब ऐसा आवेदन दायर कर, उसके लिए अलग आदेश द्वारा कारण प्रदान किए गए। इस प्रकार वे दो आदेश चुनौती के अधीन हैं जो 18 सितंबर 2018 और 8 जनवरी 2019 को पारित किए गए हैं।

2. 18 सितंबर 2018 के आदेश में अपीलार्थी को केवल यह सूचित किया गया है कि वर्ग 29 में यंत्र चिह्न के पंजीकरण की मांग करने वाला आवेदन संख्या 2665269 को अधिनियम की धारा 9/11 के तहत खारिज कर दिया गया है। आदेश में एक नोट शामिल है, जो अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क के साथ अस्वीकृति के कारणों को प्राप्त करने के लिए व्यापार चिह्न नियमों के नियम 36 (1) 1 के तहत आवेदन करने की अनुमति देता है।

3. अपीलार्थी के इस आवेदन पर, 8 जनवरी 2019 का दूसरा आदेश पारित किया गया है, जिसमें कथित तौर पर अस्वीकृति के आधार शामिल किए गए हैं।

4. मुझे सूचित किया गया है कि पहले अकारण अस्वीकृति आदेश संप्रेषित करने और उसके बाद व्यापार चिह्न नियमों के नियम 36(1) के तहत आवेदक द्वारा उक्त उदेश्य हेतु विशेष रूप से आवेदन करने पर की अस्वीकृति प्रदान करने की इस दुखद प्रथा का अब पालन नहीं किया जाता है।

5. यह वास्तव में एक स्वागत योग्य विकास है। वास्तव में, व्यापार चिह्न नियमों के नियम 36(1) की वैधता, एक ऐसा मामला हो सकता है जिसे गंभीरता से चुनौती दी जा सकती है।

6. एक अनुचित आदेश उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया का अपमान है। ऐसी योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं है जिसमें पहले तो एक अनुचित आदेश पारित किया जाता है और सूचित किया जाता है और उसके बाद, आवेदक द्वारा आवेदन पर उक्त आदेश के कारणों को जानने के लिए अपनी जेब से शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

7. वर्तमान मामले में, 8 जनवरी 2019 के संचार में निहित इनकार के कथित आधार, 18 सितंबर 2018 के आदेश की तरह ही निराधार हैं। 18 सितंबर 2018 का आदेश और 8 जनवरी 2019 को इनकार के आधारों का बाद का विवरण इस प्रकार है:

<u>18 सितंबर 2018 का आदेश</u>

"आदेश

उपरोक्त मामले के संबंध में 20/08/2018 को मेरे समक्ष सुनवाई हुई और आवेदक/एजेंट को निम्नलिखित सूचना दी जानी हैः

सुश्री प्रिया आवेदक/अधिवक्ता/एजेंट मेरे सामने पेश हुईं और अपनी दलीलें दीं। मैंने तर्क सुने हैं, अभिलेखों का अवलोकन किया है और निम्नलिखित आदेश पारित कियें ।

जिस व्यापार चिह्न के लिए आवेदन किया गया है वह अधिनियम की धारा 9/11 के तहत आपत्तिजनक है। तदनुसार आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 36 (1) के तहत ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जहां आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, एक अनुरोध निर्धारित शुल्क के साथ प्रपत्र संख्या टी. एम.-एम. में किया जा सकता है ताकि निर्णय के आधार और उक्त आवेदन को अस्वीकार करने के अपने निर्णय पर पहुंचने में रजिस्ट्रार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री को लिखित रूप में सूचित किया जा सके। टी. एम.-एम. प्रपत्र पर उक्त अनुरोध अस्वीकृति के आदेश कि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

तिथि: 18 सितम्बर 2018

(बीरेंद्र जायसवाल)
व्यापार चिह्नों के वरिष्ठ परीक्षक
(अधिनियम के 3 (2) के तहत अधिकृत)"

<u>दिनांकित 8 जनवरी 2019 का आदेश</u>

"द्वारा: व्यापार चिह्न पंजीयक, दिल्ली दिनांकित: 08/01/2019

सेवा में,

एस. सिंह और एसोसिएट्स
213, तीसरा फ्लोर, परमानंद कॉलोनी,
डॉ. मुखर्जी नगर दिल्ली-9

विषय: वर्ग 29 में आवेदन संख्या 2665269
मेसर्स एनआईएफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर

व्यापार चिन्ह नियम, 2017 के नियम 36 (1) के तहत निर्णय के आधार का विवरण

महोदय/महोदया

उपरोक्त के संदर्भ मे तथा दिनांकित 10/10/2018 के प्रपत्र टी. एम.-एम पर अनुरोध हेतु। व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार द्वारा आपको यह सूचित करने का निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आवेदन के संबंध में सुनवाई दिनांक 20/08/2018 को हुई थी और उक्त आवेदन को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया हैः

आवेदक अधिवक्ता सुश्री प्रिया उपस्थित हुईं। मैंने तर्क सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। धारा 9 के तहत आपत्ति जारी है, पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

धारा 9. पंजीकरण से इनकार करने के लिए आत्यन्तिक आधार।

9(1)(क)-व्यापार चिह्न किसी भी विशिष्ट चरित्र से रहित है, अर्थात एक व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं से अलग करने में सक्षम नहीं हैः

9(1)(ख)-व्यापार चिह्न में विशेष रूप से ऐसे चिह्न या संकेत होते हैं जो वस्तु या सेवाओं के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा, इच्छित उद्देश्य, मूल्य, भौगोलिक उत्पत्ति या माल के उत्पादन के समय या सेवा प्रदान करने या अन्य विशेषताओं को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापार में काम करते हैं।

चूंकि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 9 के तहत परीक्षण रिपोर्ट में उठाई गई आपत्ति को माफ नहीं किया जा सकता है और उपयोगकर्ता और विद्वान अधिवक्ता के दावे के लिए कोई सहायक दस्तावेज दायर नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता सुनवाई के समय अपने मामले को साबित करने के लिए समझाने में विफल रहा, उपरोक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

आपका विश्वासी,

बीरेंद्र जयसवाल
(वरिष्ठ परीक्षक)"

8. 18 सितंबर 2018 के आदेश में अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए केवल धारा 9 और 11 का हवाला दिया गया था। इसके बाद, 8 जनवरी 2019 के संचार द्वारा, धारा 11 को अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने के आधार के रूप में स्पष्ट तौर पर छोड़ दिया गया है और अस्वीकृति धारा 9 (1) (क) और 9 (1) (ख) पर आधारित होने की मांग की गई है। हालाँकि, केवल दो प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करने के अलावा, आदेश यह स्पष्ट नहीं करता है कि उक्त प्रावधान कैसे लागू होते हैं या अपीलार्थी का आवेदन उक्त प्रावधानों के आधार पर अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी क्यों था।

9. इस प्रकार, दोनों आदेश अनुचित हैं। इसलिए वे कायम नहीं रह सकतें।

10. 18 सितंबर 2018 के आदेश और 8 जनवरी 2019 के संचार को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। अपीलार्थी के आवेदन संख्या 2665269 को व्यापार चिह्न पंजीकरण कार्यालय द्वारा नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा जाता है, ताकि आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए एक सक्षम अधिकारी को सौंपा जा सके।

11. अपीलार्थी को निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। व्यापार चिह्न कार्यालय आज से एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी/आवेदक को सुनवाई की तिथि बताएगी और उसके तीन सप्ताह के भीतर आवेदन पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

12. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

न्या. सी. हरि शंकर

5 दिसंबर, 2023/*डीएसएन*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*